गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर –495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260017 फैक्स : 07752-260154
वेबसाइट : www.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260017, FAX : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

क्र. 3040 / स्था. / प्रशा. / 2024 बिलासपुर, दिनांक 30/08/2024

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में सत्र 2023–24 से पूर्व प्रवेशित / नव प्रवेशित ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप में कमजोर है या जिनके माता–पिता उनकी पढ़ाई कराने के लिये विश्वविद्यालय की फीस / छात्रावास शुल्क / शिक्षण सहायता, इत्यादि देने में असमर्थ हैं, उन छात्र–छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14.08.2024 में पद क्रमांक 14 में लिये गये निर्ण के अनुक्रम में ''GGV सुदामा योजना'' लागु की जा रही है।

इस योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र (विश्वविद्यालय वेब पटल पर उपलब्ध) में आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र की कंडिका क्रमांक 01 से 19 तक समस्त प्रविष्टियां भरना अनिवार्य है। इच्छुक विद्यार्थियों आवेदन पत्र के साथ अर्हता की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेखों को संलग्न करना अनिवार्य है।

पूर्व प्रवेशित छात्र अनुलग्नक 'अ' एवं नव प्रवेशित छात्र अनुलग्नक 'ब' आवेदन पत्र को भरेंगे। प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक भरने एवं हस्ताक्षर करने के उपरांत समस्त स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों के साथ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें।

तत्पश्चात विभागाध्यक्ष अभिलेखों को सत्यापित कर संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता एवं सहायक–अधिष्ठाता (आवश्यकतानुसार) की बैठक आयोजित करते हुये अपने अध्ययनशाला के समस्त आवेदनों पर निर्धारित प्रविष्टियॉ एवं परीक्षण कर अनुशंसा सहित अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में प्रेषित करेंगे। तदोपरांत अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय आवेदनों का पुर्नपरीक्षण कर आवेदनो को कुलसचिव महोदय के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगें। सक्षम अनुमोदन उपरांत, वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.कं. 3041 / स्था. / प्रषा. / 2024 बिलासपुर, दिनांक 30/08/2024

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर माननीय कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्ताधिकारी / आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी, की ओर सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त अधिष्ठाताओं / विभागाध्यक्षों / विभागीय अधिकारियों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आईटी सेल की ओर विवविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
6. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)